

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 25/2020-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2020

सा.का.नि. (अ) आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 44/2019-केंद्रीय कर, तारीख 09 अक्टूबर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 767(अ), तारीख 09 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

क. उक्त अधिसूचना के, पहले पैरा में, पहले परंतुक के लिए निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की दशा में, जिनका मूल कारबार स्थान भूतपूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य में है, अक्टूबर, 2019 के मास के लिए, उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी इलैक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 24 मार्च, 2020 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।”।

ख. उक्त अधिसूचना के, पहले पैरा में, पांचवे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह भी कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की दशा में, जिनका मूल कारबार स्थान जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में या लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में है नवंबर, 2019 से फरवरी, 2020 तक प्रत्येक मास के लिए, उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी इलैक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 24 मार्च, 2020 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।”।

2. यह अधिसूचना 20 दिसंबर, 2019 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

[फा. सं. CBEC-20/06/04/2020-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 44/2019-केंद्रीय कर, तारीख 09 अक्टूबर, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 767(अ), तारीख 09 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना सं. 07/2020-केंद्रीय कर, तारीख 3 फरवरी, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 83(अ) तारीख 3 फरवरी, 2020 द्वारा संशोधित की गई थी।